The Berar General Education Society's

SITABAI ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE

CIVIL LINES, AKOLA (M.S.)

(Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati.)

ONE DAY NATIONAL CONFERENCE

On

भारतीय महिला : काल, आज आणि उद्या

(आंतरविद्याशाखीय)

२४ डिसेंबर २०१६

हिंदी भाग - १

Scanned by CamScanner

ISBN : 978-93-83587-68-1

The Berar General Education Society's

SITABAI ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, CIVIL LINES, AKOLA (M.S.)

(Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati.)

NATIONAL CONFERENCE
On

INDIAN WOMEN : PAST, PRESENT AND FUTURE

(An Interdisciplinary Approach)

Date : 24 December 2016

हिंदी भाग - १

Principal

Dr. R. D. Sikchi

Editor

Assit. Prof.Kailas Wankhade

Ajanta Prakashan
Jaisingpura, Aurangabad.

Scanned by CamScanner

ISBN : 978-93-83587-68-1

* EDITORIAL BOARD *

Shri R. R. Ranpise (English)

Shri B. B. Dharne (Marathi)

Dr. S. K. Keswani (Hindi)

Dr. A. Y. Singh (Sanskrit)

Dr. R. V. Rathod (Political Science)

Dr. D. E. Umbarkar (Sociology)

Dr. B. S. Wazire (History)

Shri A. M. Khare (Music)

Dr.Chhaya Ghadyalji (Home Science)

Dr. P. R. Gawai (Economic)

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad.

Published by :

Assit Prof. Vinay Hatole
Ajanta Prakashan, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad.
Cell No. : 9579260877, 9822620877, Ph.No. : (0240) 2400877, 6969427
E-mail : anandcafe@rediffmail.com, www.ajantaprakashan.com

ISBN : 978-93-83587-68-1

Scanned by CamScanner

 ISBN : 978-93-83587-68-1

हिंदी सूची भाग - १

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	'छोरा कोल्हाटी का' जीवनी में अभिव्यक्त स्त्री चिंतन के मूल स्वर **गिन्हे दिलीप लक्ष्मण**	१-४
२	स्त्री : अंतिम उपनिवेश **मंजू देवी**	५-६
३	मीडिया में महिलाओं की भागीदारी और वर्चस्व **नीलिमा मिंज**	७-९
४	भारतीय संगीत में महिलाओं का स्थान **निर्जरी देसाई ठक्कर**	१०-१०
५	घर और बाहर के दोहरे शोषण की शिकार कामकाजी महिलाएँ **प्रेम कुमार**	११-१३
६	मीडिया में महिला का प्रस्तुतीकरण: विज्ञापन के संदर्भ में **वानोळे सटवाजी तुकाराम**	१४-१६
७	संगीत शिक्षा में भारतीय महिलाओं की स्थिति तथा उसमें गुजरात के परिप्रेक्ष्य में उ.मौलाबक्ष का प्रदान **विश्वास विजयकुमार संत**	१७-१८
८	भारतीय महिला और सशक्तिकरण **डॉ. सय्यद अमर फकिर**	१९-२१
९	आधुनिक भारत के निर्माण में महिला पत्रकारों की भूमिका **शैलेंद्र दुबे**	२२-२४
१०	भारतीय महिला - कल, आज और कल **सौ. अलका नीलकंठ वानखडे**	२५-२८
११	भारतीय महिलाओं की स्थिती **आम्रपाली गोविंदराव तिव्हाळे**	२९-३१
१२	स्त्री शिक्षा के प्रतिपादक विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त **डॉ. अर्चना लाल सिंह**	३२-३४
१३	भारतीय शास्त्रीय संगीत में महिलाओं का योगदान **डॉ. अश्विनी कुमार सिंह**	३५-३७
१४	ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक दर्जा **प्रा. भारती कृष्णराव देशमुख**	३८-४०
१५	महिला सशक्तिकरण एक अध्ययन **प्रा. सी. एस. तोटवाड**	४१-४२
१६	भारतीय नारी: कल, आज और कल **डॉ. कॅप्टन बाबासाहेब माने**	४३-४७

Scanned by CamScanner

ISBN : 978-93-83587-68-1

१६

भारतीय नारी: कल, आज और कल

डॉ. कॅप्टन बाबासाहेब माने
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर, जि. पुणे.

अनादिकाल से पुरुषों के समान कार्य करने वाली और संख्या के अनुपात में भी समान स्थान रखनेवाली नारी पुरुषों का पालन–पोषण, उन्नयन एवं परिचालन करती रही है । वह त्याग, समर्पण, करुणा, दया–माया–ममता की प्रतिमूर्ति रही है। उसके ही कारण सृष्टि आरंभ से लेकर आज तक मनुष्य की पीढ़ियाँ बरकरार रही हैं । वह पुरुष की मानसिक तृष्णाओं को पूरी करने में सक्षम रही है। वह नर का विकास करने मे योगदान देती रही है। वह नर के शरीर एवं मानस को पुष्ट करके उसे परिश्कृत करने मे भी अहम रोल निभाती रही है । वह जिस तरह से दया–माया एवं ममता की प्रतिमूर्ति रही है , उसी तरह से उसने अन्याय के विरुदध कभी चडी बनकर , कभी दुर्गा बनकर , कभी काली बनकर, कभी भवानी बनकर दुष्टों का संहार भी किया है और न्याय स्थापित करने मे अहम भूमिका निभाई है । उसी नारी की खासतौर पर भारतीय नारी की कल क्या स्थिति थी ? आज क्या है और भविष्य मे क्या हो सकती है ? इस पर इस आलेख मे प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है ।

भारतीय नारी की कल की स्थिति या दशा को देखने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास में जाना होगा। जहाँ तक हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, वह वैदिक काल से है । अतः वैदिक युग में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है । इसमें वैदिक संस्कृत में लिखे 1028 श्लोक संग्रहीत हैं । इन श्लोकों में प्रकृति वर्णन, विश्वकल्याण तथा शांति की कामना व्यक्त हुई है । यजुर्वेद में सामूहिक पूजा, दान देना, धार्मिक अनुष्ठान एवं मंत्रों से संबंधित बाते हैं । सामवेद में राग एवं गीत के स्वरों तथा रागिनियों के संदर्भ में विविध विचार मिलते हैं। अथर्ववेद में रोगों के इलाज का वर्णन है। इस काल में नारी की स्थिति अच्छी रही है। खासतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों , पूजापाठ आदि में नारी को पुरुष के समान महत्व दिया गया था । उसके अधिकारों की रक्षा होती थी। उसे अपने आत्मविकास, शिक्षा, विवाह, संपत्ति आदि के संबंध में पुरुष के समान अधिकार दिए गए थे। खासतौर पर उसे सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक अधिकार प्रदान किए गए थे । इसलिए इस काल को नारी उत्थान एवं उन्नयन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है । वेदों के बाद रामायण, महाभारत काल में भी नारी को विशेष महत्व दिया गया था । बालविवाह, पर्दाप्रथा, शिक्षा से वंचित रखना, उसके जन्म को अशुभ मानना आदि दुर्व्यवहार नारी के साथ नहीं होते थे। इस संदर्भ मे डॉ. मंजुलता छिल्लर ने अपनी किताब 'भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम' में लिखा है कि "वैदिक तथा रामायण–महाभारत काल में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करती थीं, पुत्री के जन्म को अशुभ नहीं माना जाता था । लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी । वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस युग में महिलाओं को समृदधि की देवी समझा जाता था कि जो व्यक्ति समृदधि एवं उन्नति के इच्छुक हैं उसे उनका सम्मान करना चाहिए। बालविवाह का चलन न था ।"[1] इस कथन से स्पष्ट है कि इस जमाने में नारी को पुरुष के समान अधिकार देने की बात जरुर कही गई थी या यह कह सकते हैं कि उसे पुरुष के समान दर्जा भी दिया गया था। लेकिन सीता की अग्निपरीक्षाएँ, कुंति का लोकलाजवश पुत्र को नदी में प्रवाहित करना, द्रोपदी को दांव पर लगाना और उसका चीरहरण करना आदि घटनाएँ स्त्री की अहमियत को थोडा–सा कम जरुर कर देती हैं । इसके कई शताब्दियों के पश्चात् 500–200 ई. पूर्व की कालावधी में धर्मसूत्रों को संकलित किया गया । इन सूत्रों में नारी के महत्व को अंकित किया गया। इनमें राजाओं और उनके कर्मचारियों के कर्तव्य भी बताए गए । इनमें नारी के अस्तित्व

Scanned by CamScanner

ISBN : 978-93-83587-

एवं महत्व को पहचानकर जो व्यक्ति नारी के प्रति दूषित रवैया अपनाएगा या उसके साथ दुष्कर्म करेगा उसके खिलाफ सजा का प्रावधान भी किया गया था। इस बाबत शोभा नटानी ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज और नारी : दशा एवं दिशा भाग 1' में लिखा है कि "धर्मसूत्रों में चोरी, हमला , कत्ल, यौनाचार आदि के दोषी लोगों के लिए सजा भी निर्धारित की गई है। तत्पश्चात् मनुस्मृति समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका, उनके लिए आचार–संहिता तथा उनके आपसी संबंधों के बारे में ज्ञात कराती है । इसमें नारी को देवता के समान दर्जा दिया गया था । अतः कह सकते हैं कि नारी और पुरुष में कोई फर्क नहीं किया थो। मनु ने कहा है कि –

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता। अपूजिताश्च यत्रेता सर्वास्तित्राफल किया ।।"[3]

(अर्थात् जहाँ नारियों का आदर होता है ,वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारियों की दुर्दशा होती है, वहाँ संपूर्ण परिवार का विनाश होता है।)

उक्त उदधरणों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर इस युग में नारी को पुरुष के समान कमाधिक मात्रा में ही क्यों न हो जरुर बराबरी का स्थान दिया गया था । उनके अधिकारों का रक्षण किया जाता था। उन्हें बेटों के समान पढने–लिखने एवं स्वायत्त जीवन जीने का अधिकार मिल गया था। उनके विकास की गतिशीलता पर अधिक पाबदी नहीं थी। पर्दाप्रथा, बालविवाह, दहेजप्रथा आदि का प्रचलन न के बराबर था। लड़की को स्वयं वर चुनने का अधिकार था। इसके बाद नारी की स्थिति में निरंतर परिर्वतन शुरु हुआ। नारी की दशा गिरने लगी। उस पर अनेक बंधन लादे जाने लगे। भास, शुद्रक, कालिदास और बाणभट्ट के समय में नारी को अधिकतर सौंदर्यशालिनी या प्रियेशी के रुप में ही स्थान दिया गया । शुद्रक दवारा रचित मृच्छकटिकम् और कालिदास दवारा रचित अभिज्ञान शाकुन्तलम् इसके उदाहरण हैं । बौद्धकाल के आरंभ में भी नारी की दशा कुछ ठीक नहीं थी। मौर्य एवं गुप्त समय में नारी की दशा बद–से–बददतर होने लगी । सम्राट आशोक के जमाने में स्त्रियों पर प्रारंभ में अनेक अत्याचार हुए , परंतु बाद में कुछ सुधार भी आए। इस काल के बाद पुनः नारी को भोग एवं विलास की वस्तु माना जाने लगा ।

मध्यकाल में तो नारी की दशा अत्यंत नीचे गिरती चली गई या यह कह सकते हैं कि इस काल की प्रबल पुरुषी समाजिक व्यवस्था ने उसकी दशा को सबसे नीचे गिरा दिया । इस काल का समय लगभग 11वी शताब्दी से लेकर 18 वी शताब्दी तक माना जाता है । इस काल में संपूर्ण वैदिक काल के नियमों एवं मान्यताओं को पलट दिया गया। नारी को केवल भोग एवं कामवासना की तृप्ति का साधन मात्र माना गया। यवनी आकमणों और मुगलों के राज्य स्थापित करने के बाद स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया । बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहुविवाह, पर्दाप्रथा, वेश्याप्रथा, दासीप्रथा, सतीप्रथा, दहेजप्रथा आदि कुप्रथाओं का प्रचलन बढ़ गया। शिक्षा के दवार स्त्री जमात के लिए बंद कर दिए गए। विधवा विवाह की अनुमति बंद कर दी गई । वेश्या वृत्ति के लिए स्त्रियों को मजबूर किया जाने लगा । अधिकांश राजा–महाराजाओं, बादशाहों, मनसबदारों, सेनपतियों ने अपनी कामवासना की तृप्ति की इच्छी पूरी करने हेतु अनेक नारियों को पत्नी, रखेल, दासी या गुलाम बनाकर रखा। बार–बार के यवनी आकमणों और राजा–महाराजाओं की आपसी दुश्मनी में अधिकतर नारी जमात को ही प्रताडित होना पड़ा। नारी के अधिकारों की रक्षा करना तो दूर उसके अधिकारों की बात भी किसी ने नहीं की। चूँकि इस जमाने के अधिकांश साहित्यकार पुरुष ही थे और उनमें से अधिकांश साहित्यकारों ने नारी को केवल भोग एवं विलास की वस्तु मानकर ही चित्रित किया था। परिणाम स्वरुप नारी अशिक्षित, प्रताडित और कमजोर होकर ही रह गई। इस काल की एकमात्र नारी मीराबाई ने पुरुषी सामाजिक व्यवस्था के सारे बंधनों को तोड़कर श्रीकृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किया था । परंतु उसे भी कई यातनाओं से गुजरना पड़ा था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में राजमाता जिजाबाई का एक आदर्श माता तथा कुछ अधिकारों को प्राप्त नारी के रुप में चित्रण जरुर मिलता है, परंतु आम नारी की दशा में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। मध्यकाल

ISBN : 978-93-83587-68-1

की नारी की दशा के संदर्भ में डॉ. मंजुलता छिल्लर ने लिखा है कि "मध्यकाल में नारी का जीवन पुरुषों की दया पर निर्भर था। पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा तथा उत्तराधिकार से वंचित रखना आदि ने नारी जीवन को नरक बना दिया था। अंधविश्वास, निरक्षरता और अज्ञानता स्त्रियों की सभी समस्याओं के मूल में थे।"[१] इस कथन से ही स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी।

आधुनिक काल की शुरुआत 19 वी शताब्दी से मानी जाती है । यह काल नारी उन्नयन का आरंभिक काल माना जा सकता है । इस काल में ब्रिटिश हुकूमत के भारत में स्थापित होने बाद जब उनके द्वारा शिक्षा का प्रचलन बढ़ने लगा तो स्त्रियों की अवस्था के प्रति समाज जीवन में जागृति के स्वर उत्पन्न होने लगे । इस काल में स्त्री ने घर से बाहर कदम रखना शुरु किया . फिर भी उस पर पुरुषी सामाजिक व्यवस्था का दबाव बरकरार था ही । इस काल के कुछ समाज सेवियों ने नारी के हकों के लिए आवाज उठानी शुरु की, जिनमें राजाराम मोहनराय, दयानंद सरस्वती तथा अन्य आर्य समाज सेवियों और महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी महात्मा ज्योतिराय फूले, सावित्रीबाई फूले, राममनोहर लोहिया, आदि प्रभुतियो के नाम लिए जा सकते हैं । इन्होंने नारी उत्थान के लिए विविध कार्य किए । इन प्रभुतियो के नारी उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरुप ही सतीप्रथा निषेध अधिनियम–1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम–1856, बालविवाह निरोधक अधिनियम– 1929 , हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम –1937 आदि कानून अंग्रेजी शासन को लागू करने पडे। फिर भी नारी के अधिकारों का कियान्वयन उतना नहीं हो पाया, जितना कि हो जाना चाहिए था। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में एकमात्र महिला रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी उल्लेखनीय है । जिसने एक नारी का दमखम क्या होता है ? वह अंग्रेजी हुकूमत को दिखाया और उसमें ही वह वीरगति को प्राप्त हुई। कमला नेहरु और सरोजिनी नायडू ने भी इस जमाने में नारी को एकजुट कर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने का सराहनीय कार्य किया। इसके बाद स्वतंत्र भारत में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक कानून पारित किए गए । भारतीय संविधान ने तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया। आजादी के पश्चात् कारखाना अधिनियम 1948, विशेष विवाह अधिनियम–1954, हिंदू विवाह अधिनियम–1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम–1956, हिंदू नाबालिग तथा संरक्षता अधिनियम–1956 , हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम–1956, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम–1956, दहेज निरोधक अधिनियम–1961, मातृत्व लाभ अधिनियम– 1961, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार स्टेट्स ऑफ वुमेन्स कमिटी का गठन–1971, पंचायती राज में महिला आरक्षण कानून– 1993, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बेटे और बेटी का पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार–2005, घरेलू हिंसा को दुबारा परिभाषित किया –2006, विवाह पंजीकरण अनिवार्य–2006, इन सारे कानूनों के लागू होने से एक बात स्पष्ट रुप से सामने आती है कि आजादी के बाद नारी जमात का जितना विकास हो पाया है, उतना इसके पूर्व के किसी भी काल में नहीं हुआ था। आज नारी राजनीति, पत्रकारिता, उद्योग, साहित्य, नौकरी, समाज सेवा, पुलिस सेवा, व्यापार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, न्याय, आकाश, समुद्र, सैनिकी सेवा, फिल्म, खेलकूद, धर्म, कृषि आदि सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है । पुरुष के समान उसने सभी क्षेत्रों में अपने कामयाबी के झंडे गाढ़ दिए हैं । जिनमें इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, अमृत कौर, प्रतिभाताई पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, ममता बॅनर्जी, जयललिता, मायावती, मनेका गांधी, सोनिया गांधी, नजमा हेपतुल्ला, सुमित्रा महाजन, महाश्वेता देवी, अरुंधती राय, नलिनी सिंह, इंदिरा नुयी, नीता अंबानी, फातिमा बीबी, महादेवी वर्मा सुभद्रकुमारी चौहान, कीर्ति चौधरी, मन्नु भंडारी, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, सूर्यबाला, अरुणा असफ अली, विमला फारुकी, रेणु चक्रवर्ती, अहिल्या रंगणेकर, सुशीला गोपालन, पूर्णिमा बनर्जी, मृणाल गोरे, तारा रेडी, उषा मेहता, दुर्गा भाभी, किरण बेदी, सिंधुताई सपकाळ, गौरा देवी, मेधा पाटकर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पी.टी. उषा, मेरी कोम, मिताली राज, परवीन बाबी, आशा पारेख, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, दिपीका पादुकोन, पद्मा बंधोपाध्याय, डॉ. पुनीता अरोडा आदि कई महिलाओं ने अपने–अपने क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं । इनमें से कई महिलाएँ आज भी कार्यरत हैं। इतना होने पर भी महिलाओं पर पुरुषी मानसिकता

Scanned by CamScanner

ISBN : 978-93-83587-68-1

अधिकार नहीं मिल पाया है । आजादी के बाद का दबाव आज भी बराबर बना हुआ है । आज भी महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिल पाया है । आजादी के बाद के इन 67 सालों में महिलाओं ने वे सभी क्षेत्र अपनी कार्य–कुशलता से काबिज किए हैं जो एक जमाने में केवल और केवल पुरुष के ही माने जाते थे । जहाँ एक ओर नारी ने सभी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है वहीं दूसरी ओर आज भी नारी जमात का एक बहुत बड़ा वर्ग पुरुषी वर्चस्व के दबाव में अन्याय–अत्याचारों को सहन करता नजर आता है। विशेष रूप से मध्यम–निम्न वर्ग एवं ग्रामीण इलाकों की नारियों की स्थिति आज भी बहुत ही हीन दर्जे की है । उनकी स्थिति में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है । इक्कीसवी सदी के दूसरे दशक में आज भी नारी के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, असिड फेंकना, वेश्यावृत्ति के लिए उसे बेच देना, घर –परिवार और दफ्तर में उसके साथ नृशंस अत्याचार करना, मार–पीट करना, उसके अधिकारों को पैरों तले रौंदना, दहेज के लिए उसकी हत्या करना, जबरन विवाह करना आदि दुर्व्यवहार होते ही रहते हैं । कन्या भ्रूण हत्याओं के मामले तो साल–दर–साल बढ़ते ही जा रहे हैं । जबकि इन सारे दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं । परंतु उन कानूनों का प्रभाव कम ही नजर आता है । आए दिन समाचार पत्रों में किसी–न–किसी नारी के उत्पीड़न एवं हत्या का मामला प्रकाशित होता रहता है । नारी के उन्नयन के लिए समय–समय पर सरकारों ने अनेक अभियान बनाए एवं चलाए हैं और इनमें से कई अभियान आज भी चलाए जा रहे हैं । जिनमें महिला समाख्या कार्यक्रम(1989), बालिका समृद्धि योजना (1997), किशोरी शक्ति योजना (2000), स्वधार (2001), कस्तूरबा गांधी विशेष बालिका विद्यालय योजना (2004), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2007), महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना (2007) आदि की गिनती की जा सकती है । फिर भी नारी को हीन भाव से देखने का पुरुषी नजरिया बहुत कुछ बदला नहीं है। आजादी के पूर्व की अपेक्षा वर्तमान भारत की स्त्रियों ने विविध क्षेत्रों में अधिक मात्रा में प्रवेश किया है । उनकी साक्षरता का प्रतिशत भी साल–दर–साल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कई अधिकारों को पाने में कामयाबी हासिल की है, कुछ हद तक वे स्वायत्त या स्वतंत्र जीवन भी जीने लगी हैं। फिर भी पुरुषों की तुलना में आज भी वे काफी पिछड़ी नजर आती है। वर्तमान नारी को दोहरी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही है। एक तो परिवार की और दूसरी नौकरी की। चूँकि वर्तमान समय की समाज व्यवस्था अर्थ की नींव पर टिकी हुई है। उसके लिए अर्थ ही जीवन विकास प्रमुख आधार बना हुआ है । इसलिए वह अर्थ प्राप्ति के पीछे भागती जा रही है । ऐसे में परिवार का खर्च एवं उसके विकास में सहयोग देने हेतु नारी को नौकरी करनी पड़ रही है। अतः उसे अपने बच्चों के पालन–पोषण, परिवार के सदस्यों की देखभाल और नौकरी के कामकाजों की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ निभानी पड रही है। फिर भी वह पुरुष के साथ कंधे–से–कंधा मिलाकार कार्य कर रही है। वह पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है । फिर भी उस पर किसी न किसी कारणवश अत्याचार होते ही रहते हैं। ''भारत में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 52 वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, प्रति 26 वें मिनट में किसी एक स्त्री पर शारीरिक हमला, प्रति 43 वें मिनट में किसी महिला का अपहरण, प्रति 102 वें मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है। हमारे देश में दहेज के कारण 1000 स्त्रियाँ हर साल मारी जाती है।''[5] इससे स्पष्ट है कि आज नारी ने पुरुष के बराबर खड़े होने की ताकत जरुर जुटाई है, परंतु अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने में आज भी वह असमर्थ सी प्रतीत होती है। जब वह इन अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़ी होगी, तब उसकी स्थिति में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। महिलाओं पर होने वाले इन अत्याचारों के लिए केवल पुरुष या पुरुषी सामाजिक व्यवस्था ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए महिलाओं का दब्बूपन, अशिक्षा, निर्बलता, अंधविश्वास, अतिभावुकता, लालच, ढिलाई, लाचारी आदि दुर्गुण भी जिम्मेदार हैं । इस संदर्भ में डॉ. मिनाक्षी व्यास ने लिखा है कि ''महिलाओं के शोषण के लिए केवल पुरुष या केवल सामाजिक व्यवस्था को दोष देना ठीक नहीं है। यह भी एक सच्चाई है कि इन सबका कारण नारी अशिक्षा, उसका दब्बूपन, उसमें दक्षता की कमी तथा निर्णय न लेने की स्थिति आदि है।''[6] अगर इन दुर्गुणों को नारी ने त्यागा और हर चुनौती का निड़र होकर सामना किया तो वह दिन दूर नहीं, जब नारी शोषणमुक्त होगी।

नारी की भविष्य में क्या स्थिति रहेगी ? इस पर जब विचार करने लगते हैं तो एक बात निश्चित रुप से कही जा सकती

Scanned by CamScanner

 ISBN : 978-93-83587-68-1

है कि नारी का भविष्य उज्ज्वल है । आज के समय में नारी ने विकास की जितनी रफ्तार पकड़ी है और वह अपने अधिकारों के लिए जितनी छटपटा रही है । अगर उसका यह प्रयास इसी तरह से जारी रहा और पुरुष भी उसे साथ देता रहा तो इक्कसवी सदी के अंत तक या उससे पहले भी वह पुरुष के समान बराबरी का स्थान पा सकती है। चूँकि इक्कीसवीं सदी आधुनिक विचारों और कार्यप्रणालियों की है । इस सदी में नारी के प्रति दोयम भावना से और वासनायुक्त दृष्टि से देखने का पुरुषी नजरिया पहले की अपेक्षा काफी बदल गया है। उसके संरक्षण के लिए अनेक कानून भी बनाए गए हैं । केवल उन कानूनों का कार्यान्वयन कठोरता से और बिना देरी के करने की आवश्यकता है । साथ ही नारी में संपूर्ण जागृति लाने की आवश्यकता है । आज शहरी महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक सजग एवं प्रयत्नशील हैं । परंतु ग्रामीण इलाकों की महिलाएँ आज भी उतनी सजग एवं सक्षम नहीं बनी है । अतः ग्रामीण महिलाओं की उन्नति के लिए तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग, शिक्षित एवं सक्षम बनाने के लिए सरकार, सामाजिक संस्थाएँ , नारी संगठन और समाज सेवी संगठनों के द्वारा निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे। शिक्षा की ज्योति अंतिम महिला तक पहुँचानी होगी। दुर्बलता का चोला उतार फेंकने के लिए उन्हे सबल बनाना होगा । नारी को स्वयं भी पुरुषी मानसिकता का कभी प्यार बनकर तो कभी ममता बनकर, कभी प्रतिस्पर्धी बनकर तो कभी दुश्मन बनकर, कभी बलवान बनकर तो कभी साथी बनकर मन परिवर्तन करने में कामयाबी हासिल करनी होगी। तभी जाकर इक्कसवी सदी के अंत तक या उससे पहले भी नारी पुरुष के समान बराबरी के आसन विराजमान होने में सफल हो सकती है। चूँकि बदलाव कभी भी जल्दी नहीं होता है । अतः नारी को स्वयं भी अपने अधिकारों को पाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे । आज भले ही उसे तैंतीस प्रतिशत आरक्षण मिल गया हो, परंतु जब तक उसे हर क्षेत्र में पचास प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक उसकी स्थिति दोयम दर्जे की ही रहेगी। जब वह पचास प्रतिशत आरक्षण की हकदार होगी तो भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया बदलने में देर नही लगेगी । वह दुनिया एक विकासित दुनिया होगी । जिसमें बलात्कार, छेडखानी, हत्याएँ, शोषण आदि के लिए न के बराबर जगह होगी। नारी निसंकोच, निडर एवं संपूर्ण रुप से स्वतंत्र बनकर जी सकेगी ।

संदर्भ सूची

1) भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम – डॉ. मंजुलता छिल्लर – पृ. 20 प्रथम संस्करण : 2010, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली ।

2) 'भारतीय समाज और नारी : दशा एवं दिशा भाग 1' – शोभा नटानी – पृ. 4 प्रथम संस्करण : 2010, मार्क्स पब्लिशर्स, वैशाली नगर , जयपुर ।

3) भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम – डॉ. मंजुलता छिल्लर – पृ. 19.

4) भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम – डॉ. मंजुलता छिल्लर – पृ. 25.

5) कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरुप – श्रीमती मंजू शर्मा – पृ. 8 प्रथम संस्करण : 2008, राज पब्लिशिंग हाऊस , परनामी मंदिर , जयपुर ।

6) समकालीन भारतीय समाज (समस्याएँ और समाधान)– डॉ. मिनाक्षी व्यास – पृ. 51 प्रथम संस्करण : 2012, विकास प्रकाशन, कानपुर ।

Scanned by CamScanner